

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक:
प्रेषक,

यो0ब02/1-10/2025- 351576 / यो0वि0, पटना, दिनांक 09 मई, 2025

हिमांशु कुमार राय,
विशेष सचिव,

सेवा में,

अनीपचारिक रूप से
परामर्शित

द्वारा:-

विषय:

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।
वित्त विभाग, बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं0-35 के विपत्र कोड 35-2053000940007 के विषय शीर्ष-1310- भाड़े की गाड़ी में कुल ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये राशि के पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति।

आदेश:

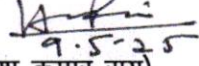
बिहार वित्तीय नियमावली भाग (I) के नियम-489 के अनुपालन में स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष 1301-कार्यालय व्यय में कुल ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये राशि की बचत होने के फलस्वरूप, विपत्र कोड-35-2053000940007 के विषय शीर्ष-1310- भाड़े की गाड़ी में कुल ₹ 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये राशि संलग्न पशिष्ट-1 के अनुसार पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक :

यथोक्त।

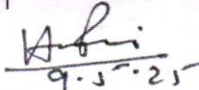
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(हिमांशु कुमार राय)
विशेष सचिव

ज्ञापक:
प्रतिलिपि:

यो0ब02/1-10/2025- 351576 / यो0वि0, पटना, दिनांक 09 मई, 2025
(1) वित्त विभाग, बजट शाखा/ससूचन शाखा, बिहार, पटना।

✓ आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृति को विभाग के साईट पर अपलोड कर दें।


विशेष सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

